(पिम नियमावली का अंश)

अध्याय–14
सक्षम नहर अधिकारी के रुप में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कर्तव्य

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–36 (2) एवं अनुसूची–7 के अन्तर्गत सक्षम नहर अधिकारी के रूप में सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य निम्नवत् निर्धारित हैं (सक्षम नहर अधिकारी/अपीलीय अधिकारी तथा निबन्धक के लिए **अध्याय–17** भी देखें):–

48. प्रमुख अभियन्ता के कृत्यः–

(1) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 की अनुसूची–4 के अनुसार अपने कार्यालय में पिम प्रकोष्ठ का गठन करना तथा उसे क्रियाशील बनाना;

(2) जल उपभोक्त समितियों के निर्वाचन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना;

(3) राज्य में जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन हेतु कार्य योजना तथा दिशा–निर्देश जारी करना;

(4) निदेशक सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को अपने कृत्यों के निष्पादन में सुगमता प्रदान करना;

(5) रोस्टर के अनुसार शाखाओं में जल की आपूर्ति का अनुश्रवण करना;

(6) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यों को सम्मिलित करना;

(7) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य सम्पादित करना।

49. परियोजना/ संगठन के मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के कृत्य :–

(1) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 की अनुसूची–4 के अनुसार अपने कार्यालय में पिम प्रकोष्ठ का गठन करना तथा इसे क्रियाशील बनाना;

(2) चुनाव अधिकारी के रूप में जल उपभोक्ता समिति का निर्वाचन कराना;

(3) शाखा एवम् परियोजना समिति की प्रबंधन समिति के साथ बैठकें आयोजित करना;

(4) शाखा समिति को अपने कृत्यों के निष्पादन में सहायता करना;

(5) जल उपभोक्ता समितियों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उन्हें क्रियाशील एवम् उत्तरजीव बनाने की योजना बनाना;

(6) शाखा में जलापूर्ति सुनिश्चित करना तथा रजबहा में रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति का अनुश्रवण करना;

(7) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यों को सम्मिलित करना;

(8) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य सम्पादित करना।

50. अधीक्षण अभियन्ता के कृत्यः–

(1) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 की अनुसूची–4 के अनुसार अपने कार्यालय में पिम प्रकोष्ठ का गठन करना तथा उसे क्रियाशील बनाना;

(2) उप चुनाव अधिकारी के रूप में जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना;

(3) रजबहा में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा रोस्टर के अनुसार अल्पिकाओं में जलापूर्ति का अनुश्रवण करना;

(4) अपने कार्य क्षेत्र मे प्रत्येक माह कम से कम एक रजबहा समिति का अनुश्रवण करना;

(5) शाखा समिति को नहर संचालन कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना;

(6) जल बजट तैयार करने हेतु शाखा समिति को जल उपलब्धता की जानकारी देना;

(7) अपनी अधिकारिता की जल उपभोक्ता समितियों की फसलवार स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना तथा इसे मुख्य अभियन्ता स्तर–2 को प्रस्तुत करना;

(8) शाखा समिति की सामान्य सभा की बैठक में भाग लेना;

(9) शाखा समिति को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना;

(10) यथास्थिति रजबहा समितियों के बजट पारित करवाना;

(11) जल उपभोक्ता समितियों के ऑडिट हेतु संस्था/ऑडिटर निर्धारित करना तथा इनका ऑडिट करवाना;

(12) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यों को सम्मिलित करना;

(13) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य सम्पादित करना।

51. अधिशासी अभियन्ता के कृत्य :–

(1) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 की अनुसूची–4 के अनुसार खण्डीय कार्यालय में पिम प्रकोष्ठ का गठन करना एवं उसे क्रियाशील बनाना;

(2) रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जल उपभोक्ता समिति का निर्वाचन कराना;

(3) सींचपाल, सींचपर्यवेक्षक, जिलेदार एवम् उपराजस्व अधिकारी के दायित्व निर्वहन का अनुश्रवण करना;

(4) जल उपभोक्ता समिति के रु0 10.00 लाख से अधिक के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना;

(5) रजबहा समिति के अध्यक्षों के साथ प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक कर उनकी समस्याओं का निदान करना;

(6) क्षेत्रीय भ्रमण कर प्रत्येक माह में कम से कम दो रजबहा समिति के कार्यों का अनुश्रवण करना;

(7) अल्पिका में रोस्टर के अनुसार पूर्ण जल स्तर पर जलापूर्ति करना;

(8) निदेशक पिम से प्राप्त धन को जल उपभोक्ता समिति के खातों में शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरण करना;

(9) जल उपभोक्ता समिति की फसलवार स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत करना;

(10) सहायक अभियन्ता को अल्पिका समिति के सशक्तीकरण हेतु सहयोग प्रदान करना;

(11) फसल के अन्त में रजबहा समिति की सामान्य सभा की बैठक के आयोजन में सहयोग करना तथा उसमे भाग लेना;

(12) कार्य की गुणवत्ता संबंधी प्रतिवेदनों को संकलित कर जल उपभोक्ता समिति की फसल सीजन के अन्त में प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करना;

(13) जल उपभोक्ता समिति को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना;

(14) जल उपभोक्ता समिति के उत्तरजीवी बने रहने हेतु नियमित सहयोग प्रदान करना;

(15) जल उपभोक्ता समिति के मध्य अन्य विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा इन योजनाओं के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करना;

(16) रजबहा समितियों का बजट पारित करवाना;

(17) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित ऑडिट संस्था/निर्धारित ऑडिटर से जल उपभोक्ता समितियों का ऑडिट करवाना;

(18) जल उपभोक्ता समितियों के लिए जल शुल्क में निर्धारित अंश को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव निदेशक, पिम को प्रेषित करना एवं निदेशक, पिम से प्राप्त धनराशि को जल उपभोक्ता समितियों के मध्य आवंटित करना;

(19) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यों को सम्मिलित करना;

(20) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य सम्पादित करना।

52. सहायक अभियन्ता के कृत्य :–

(1) जल उपभोक्ता समिति का निर्वाचन कराना;

(2) प्रत्येक माह में कम से कम 10 अल्पिका समितिओं एवम् एक रजबहा समिति के कार्यों का क्षेत्रीय भ्रमण कर अनुश्रवण करना;

(3) जल उपभोक्ता समिति के रु0 10.00 लाख तक के प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना;

(4) अल्पिका समितियों के सशक्तिकरण एवं उत्तरजीविता हेतु आवश्यक सहायता करना;

(5) अल्पिका समिति के अध्यक्षों के साथ प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक कर उनकी समस्याओं का निदान करना।

(6) कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करना तथा अधिशासी अभियन्ता एवम् यथास्थिति अल्पिका या रजबहा समिति को आख्या देना;

(7) अल्पिका समितियों की फसलवार स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और इसे अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करना;

(8) अल्पिका समिति की सामान्य सभा की बैठकों में भाग लेना;

(9) अल्पिका समिति को प्रत्येक फसल मौसम के अन्त में सामान्य सभा की बैठक के आयोजन में सहयोग करना;

(10) जल उपभोक्ता समितियों को रू0 10 लाख से अधिक के प्राक्कलन पर संस्तुति प्रदान करना;

(11) जल उपभोक्ता समितियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना;

(12) कार्यों की गुणवत्ता की अनुश्रवण रिपोर्ट को फसल मौसम के अन्त में अल्पिका समिति की सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करना;

(13) जल उपभोक्ता समितियों के मध्य अन्य विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा इन योजनाओं के साथ जोड़ने में सहयोग करना;

(14) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों का वार्षिक बजट पारित करवाना;

(15) जल उपभोक्ता समितियों को निर्धारित जल शुल्क के अंश प्राप्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना;

(16) अवर अभियन्ता को जल उपभोक्ता समितियों के सशक्तीकरण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना;

(17) जल उपभोक्ता समितियों एवं खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के मध्य समन्वय स्थापित करवाना;

(18) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के कार्यों को सम्मिलित करना;

(19) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य सम्पादित करना।

53. अवर अभियन्ता के कृत्य :–

(1) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना;

(2) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के निर्णयों का क्रियान्वयन करना;

(3) जल उपभोक्ता समितियों को तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार करने योग्य बनाना तथा उनके सक्षम न होने की दशा में उनकी तरफ से प्राक्कलन तैयार करना;

(4) जल उपभोक्ता समिति को सिविल कार्य का निष्पादन एवं उसका मापन करने योग्य बनाना तथा उनके सक्षम न होने की दशा में उनकी तरफ से मापन तैयार करना;

(5) जल उपभोक्ता समिति एवं खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के मध्य समन्वयक के रुप में कार्य कराना;

(6) क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से प्रत्येक माह में कम से कम 10 कुलाबा समितियों तथा 5 अल्पिका समितिओं के कार्यों का अनुश्रवण करना;

(7) कुलाबा पर जलापूर्ति का अनुश्रवण करना;

(8) जल उपभोक्ता समितियों के प्राक्कलनों का परीक्षण करना;

(9) प्रत्येक फसल मौसम के उपरान्त कुलाबा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों का स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत करना;

(10) जल उपभोक्ता समितियों को नियमित सहायता प्रदान करना;

(11) कुलाबा समितियों के अध्यक्ष के साथ प्रत्येक माह में कम से कम एक बार समस्याओं और मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठकें आयोजित करना;

(12) जल उपभोक्ता समितियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना;

(13) जल उपभोक्ता समितियों के मध्य अन्य विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा इन योजनाओं के साथ जोड़ने में सहयोग करना;

(14) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य सम्पादित करना।

54. सींचपाल के कृत्य :–

(1) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना।

(2) प्रत्येक सिंचाई के साथ सींच अंकित करना।

(3) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के आदेशों को लागू करना;

(4) कुलाबा समिति एवं अल्पिका समिति की बैठकों में भाग लेना;

(5) सींच लिखने तथा वाराबंदी तैयार करने में कुलाबा समितियों को सक्षम बनाना;

(6) जल उपभोक्ता समितियों के साथ गूल निर्माण हेतु प्लान तैयार कराना तथा प्रगति आख्या अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराना;

(7) नहर अपराधों की सूचना देना तथा आवश्यक कार्यवाही करना;

(8) अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी की सूचना देना एवं आवश्यक कार्यवाही करना;

(9) उप राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता को कुलाबों के सही होने की सूचना देगा;

(10) गेज रिपोर्ट को अभिलिखित करना तथा इसकी सूचना उपराजस्व अधिकारी उपखण्ड, खण्ड एवं जिलेदार को देना;

55. सींच पर्यवेक्षक के कृत्य :–

(1) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना।

(2) जमाबन्दी तैयार करना;

(3) नहर अपराधों की सूचना देना तथा आवश्यक कार्यवाही करना;

(4) अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी की सूचना देना एवं आवश्यक कार्यवाही करना;

(5) जल उपभोक्ता समितियों को सहायता करना;

(6) सींचपाल के कार्यों का अनुश्रवण करना;

56. जिलेदार के कृत्य :–

(1) गेज रीडिंग की जाँच एवं अनुरक्षण करना;

(2) राजस्व संबंधी विषयों में जल उपभोक्ता समितियों की सहायता करना;

(3) जमाबन्दी का पर्यवेक्षण करना;

(4) जल उपयोग का अनुश्रवण करना;

(5) कुलाबों की जांच एवं अनुश्रवण करना;

(6) नहर अपराध से सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितियों से प्राप्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करना;

(7) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना।

57. उप राजस्व अधिकारी/स्पेशल ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के कृत्य :–

(1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन नहर अपराध के मामलों का ट्रायल करना;

(2) राजस्व कर्मियों के कार्यों का अनुश्रवण करना;

(3) जमाबन्दी को अन्तिम रूप देकर अधिशासी अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर जमाबन्दी की एक प्रति अल्पिका समिति को उपलब्ध कराना।

(4) गेज रजिस्टर तथा आउटलेट रजिस्टर को अनुरक्षित रखना;

अध्याय–15
पिम प्रकोष्ठ की व्यवस्था

सिंचाई विभाग के खण्ड, मण्डल, मुख्य अभियन्ता एवं प्रमुख अभियन्ता के कार्यालयों में पिम प्रकोष्ठ के गठन की व्यवस्था एवं उसके कृत्य का निर्धारण उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 की अनुसूची–4 में निम्नवत् की गयी है:–

58. (1) खण्ड स्तर पर पिम प्रकोष्ठ का गठनः–

अधिशासी अभियन्ता द्वारा खण्डीय स्तर पर पिम प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसमे निम्न अधिकारी/ कर्मचारी होंगे :–

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी	संख्या	पद
(क)	वरिष्ठ सहायक अभियन्ता	1	अध्यक्ष
(ख)	सहायक अभियन्ता	1	सदस्य
(ग)	लेखाकार	1	सदस्य
(घ)	उपराजस्व अधिकारी	1	सदस्य
(च)	अवर अभियन्ता (एक या एक से अधिक)		सदस्य
(छ)	जिलेदार (एक या एक से अधिक)		सदस्य
(ज)	सींचपाल (एक या एक से अधिक)		सदस्य

नोटः– पिम प्रकोष्ठ के दोनो सहायक अभियन्ताओं में वरिष्ठ सहायक अभियन्ता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होगा। उक्त सहायक अभियन्ताओं के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी वर्ग तथा प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य प्रकोष्ठ के कार्यों का सम्पादन करेंगे। पिम प्रकोष्ठ में अवर अभियन्ता, जिलेदार तथा सींचपाल की संख्या आवश्यकतानुसार होगी। खण्डीय मुख्यालय पर पिम प्रकोष्ठ हेतु एक कक्ष की व्यवस्था अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जाएगी।

(2) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के दायित्व :–

(i) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना;

(ii) जल उपभोक्ता समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करना/कराना;

(iii) प्रत्येक माह में खण्ड स्तरीय सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रकोष्ठ की कम से कम दो बैठकें आयोजित कर बैठक का कार्यवृत्त जारी करना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता को प्रस्ताव प्रस्तुत करना;

(iv) प्रत्येक फसल सीजन में जल उपभोक्ता समितियों को हस्तान्तरित नहरों के शीर्ष, मध्य व टेल रीच पर साम्यपूर्ण जल वितरण, सिंचाई अभिलेखन, जल प्रभार की वसूली, प्रक्षेत्र विकास (on-farm development) जल उपभोक्ता समितियों की निधियों की स्थिति और नहरों के अनुरक्षण की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना तथा रिपोर्ट मण्डल स्तरीय पिम प्रकोष्ठ को प्रेषित करना;

(v) जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना;

(vi) जल उपभोक्ता समितियों को तकनीकी सहायता देना;

(vii) जल उपभोक्ता समितियों को वित्तीय प्रबन्धन हेतु सक्षम बनाना;

(viii) नियम 27(2) के अनुसार जल उपभोक्ता समितियों हेतु जल शुल्क के अंश की निर्धारित धनराशि की मांग तैयार करना;

(ix) जल उपभोक्ता समितियों को सींच लिखने एवं जल शुल्क वसूल करने में सक्षम बनाना एवं सहायता करना।

(x) वारबन्दी तथा जल बजट को तैयार करने और उसको क्रियान्वित करने में सहयोग एवं प्रेरित करना;

(xi) जल उपभोक्ता समितियों को सिंचाई नालियों के निर्माण व अनुरक्षण हेतु प्रेरित करना;

(xii) नियम–28 में निहित पैरामीटर पर जल उपभोक्ता समितियों का मूल्याँकन करना;

(xiii) प्राप्त समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करना तथा निदान हेतु उपाय सुझाना;

(xiv) कृषि उत्पाद के अग्रवर्ती और पश्चवर्ती जुड़ाव में सहायता करना;

(xv) सहभागी वाक–थ्रू कार्यक्रम तैयार कर अधिशासी अभियन्ता से निर्गत करवाना;

(xvi) अन्य विभागों की योजनाओं के साथ जल उपभोक्ता समितियों के जुड़ाव में सहायता करना;

(xvii) जल उपभोक्ता समितियों हेतु प्रबन्धन संसाधनों को सुलभ कराना;

(xviii) जल उपभोक्ता समितियों को माप पुस्तिका, कार्यादेश, मस्टर रोल आदि उपलब्ध कराना एवं अभिलेखन करना;

(xix) जल उपभोक्ता समितियों के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान करवाना एवं अभिलेखन करना;

(xx) प्रत्येक फसल मौसम पर जल उपभोक्ता समितियों की प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना तथा मण्डल स्तरी सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्रकोष्ठ को भेजना;

(xxi) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कृत्य;

(xxii) वाटर ऑडिट, बेन्चमार्किंग आदि हेतु जल उपभोक्ता समिति का क्षमतावर्धन करना।

59. (1) मण्डल स्तर पर पिम प्रकोष्ठ का गठन :–

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने कार्यालय में मण्डल स्तरीय पिम प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसमे निम्न अधिकारी होंगे :–

(i) एक अधिशासी अभियन्ता

(ii) एक सहायक अभियन्ता

(2) मण्डलीय पिम प्रकोष्ठ के कार्य निम्नवत् होंगे :–

(i) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना;

(ii) खण्ड में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा करने हेतु खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं के साथ मासिक बैठक आयोजित करना;

(iii) जल उपभोक्ता समितियों की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के अधीन सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रकोष्ठ को भेजना;

(iv) साम्यपूर्ण जल वितरण, जल शुल्क की वसूली, सिंचाई अभिलेखन, प्रक्षेत्र विकास, जल उपभोक्ता समितियों की निधियों की स्थिति एवं खण्डों में जल उपभोक्ता समितियों के अधीन नहरों के अनुरक्षण संबंधित स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना;

(v) जल उपभोक्ता समितियों के सुचारू कार्य संचालन के संबंध में कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियन्ता को संस्तुति करना;

(vi) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कृत्य।

60. (1) मुख्य अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ का गठनः–

परियोजना/ संगठन के मुख्य अभियन्ता अपने स्तर की पिम प्रकोष्ठ का गठन अपने कार्यालय में करेंगे जिसमे निम्न अधिकारी होंगे :–

(क) अधीक्षण अभियन्ता — अध्यक्ष

(ख) दो अधिशासी अभियन्ता — सदस्य

(ग) चार सहायक अभियन्ता — सदस्य

(2) मुख्य अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कार्य निम्नवत् होंगे :–

(क) निदेशक, पिम से प्राप्त नीतियों व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना;

(ख) जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना;

(ग) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की समीक्षा करने हेतु अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ मासिक बैठक आयोजित करना;

(घ) मण्डल स्तर पर कार्यरत पिम प्रकोष्ठ का अनुश्रवण एवं मूल्याँकन करना;

(च) रोस्टर का अनुश्रवण करना;

(छ) जल उपभोक्ता समितियों का मूल्याँकन करना;

(ज) जल उपभोक्ता समितियों द्वारा जल के साम्यपूर्ण वितरण, सिंचाई अभिलेखन, जल प्रभारों की वसूली, प्रक्षेत्र विकास, जल उपभोक्ता समितियों की निधियों की स्थिति और नहरों के अनुरक्षण के स्टेटस पर आख्या तैयार करना तथा उसे निदेशक, पिम को भेजना;

(झ) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन मे आने वाले व्यवधानों के निराकरण के लिए योजना और युक्ति तैयार करना;

(ट) सहभागी सिंचाई प्रबंधन के प्रभाव का अध्ययन करना;

(ठ) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कृत्य।

61. (1) प्रमुख अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ का गठनः–

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा अपने कार्यालय में पिम प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न अधिकारी होंगे :–

(क) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) — निदेशक, पिम

(ख) अधीक्षण अभियन्ता — सदस्य तथा पिम विशेषज्ञ,

(ग) अधिशासी अभियन्ता सदस्य तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञ,

(घ) अधिशासी अभियन्ता सदस्य तथा अनु0 एवं मूल्याँकन विशेषज्ञ,

(च) अधिशासी अभियन्ता सदस्य तथा भूगर्भ जल विशेषज्ञ,

(छ) 5 सहायक अभियन्ता सदस्य

(2) **प्रमुख अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कार्य निम्नवत् होंगे :–**

(क) प्रत्येक माह में परियोजना के मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करना;

(ख) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के सम्बन्ध में कृषकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने की व्यवस्था करना;

(ग) जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन हेतु कार्ययोजना तैयार करना।

(घ) सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं जल उपभोक्ता समितियों के प्रशिक्षण का नियोजन एवं कार्यक्रम तैयार करना;

(च) जल उपभोक्ता समिति हेतु खण्डों को धनावंटन करना।

(छ) जल उपभोक्ता समितियों को आवंटित धनराशि का उनके खाते में अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्तान्तरण को सुनिश्चित करना;

(ज) नहरों में प्रस्तावित तथा वास्तविक जल उपलब्धता के मध्य जल आपूर्ति की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करना;

(झ) साम्यपूर्ण जल वितरण, प्रक्षेत्र विकास, सींच अभिलिखित करने, जल उपभोक्ता समितियों की निधियों की स्थिति और जल प्रभारों की वसूली की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना;

(ट) सहभागी सिंचाई प्रबंधन के सुचारू कार्य संचालन हेतु शीर्ष समिति को प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना परन्तु यदि शीर्ष समिति गठित नही है तो प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता को प्रस्तुत करना;

(ठ) राज्य में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन का अनुश्रवण करना;

(ड) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन सम्बन्धी समस्त अभिलेख यथा–प्रशिक्षण माड्यूल, प्रतिवेदन, मैनुअल, विधिक प्रपत्र, मीडिया सामग्री, प्रक्रिया अभिलेखन, शोध परिणाम, मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि सुरक्षित रखना;

(ढ) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण की योजना तथा युक्ति तैयार करना;

(ण) जल उपभोक्ता समिति के माध्यम से समन्वित जल प्रबन्धन को बढ़ावा देना;

(त) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रभाव का अध्ययन करना;

(थ) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कृत्य।

(द) सहभागी सिंचाई प्रबन्धन पर अनुसंधान एवं क्रियात्मक शोध को बढ़ावा तथा सहायता देना;

62. पिम प्रकोष्ठों में कार्यरत विभिन्न कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजनः–

(1) खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के कार्मिकों के मध्य प्रकोष्ठ के कार्यों का विभाजन अधिशासी अभियन्ता द्वारा पिम प्रकोष्ठ गठन के समय किया जाएगा;

(2) मण्डल स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कार्मिकों के मध्य प्रकोष्ठ के कार्यों का विभाजन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पिम प्रकोष्ठ के गठन के समय किया जाएगा;

(3) मुख्य स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कार्मिकों के मध्य प्रकोष्ठ के कार्यों का विभाजन मुख्य अभियन्ता द्वारा पिम प्रकोष्ठ के गठन के समय किया जाएगा;

(4) प्रमुख अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कार्मिकों के मध्य प्रकोष्ठ के कार्यों का विभाजन प्रमुख अभियन्ता द्वारा पिम प्रकोष्ठ के गठन के समय किया जाएगा।

नोटः– प्रत्येक स्तर की पिम प्रकोष्ठ के गठन हेतु एक कार्यालय–ज्ञाप जारी किया जाएगा जिसमें प्रकोष्ठ के पदों के साथ विभिन्न पदों के मध्य कार्यो का विभाजन किया जाएगा। प्रथम कार्यालय–ज्ञाप **(परिशिष्ट–18)** के पश्चात् उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों का कार्यभार सौंपा **(परिशिष्ट–19)** जाएगा। कार्यभार समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।

अध्याय–17
सक्षम नहर अधिकारी/निबन्धक/अपीलीय अधिकारी

68. उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा 25(1) तथा नियमावली, 2010 के नियम–35 के अनुसार सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने पद के अनुरूप सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के सक्षम नहर अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं निबन्धक निम्नानुसार नियुक्त समझे जाएंगेः–

क्र0सं0	जल उपभोक्ता समिति का नाम		सक्षम नहर अधिकारी	निबन्धक	अपीलीय अधिकारी
1.	कुलाबा समिति		अवर अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
2.	अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति		सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
3.	रजबहा समिति/ फेडरेटेड रजबहा समिति	यदि रजबहा का कार्यक्षेत्र किसी एक खण्ड के अन्तर्गत आता है।	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
		यदि रजबहा का कार्यक्षेत्र एक से अधिक खण्डों तथा किसी एक वृत्त के अन्तर्गत आता है।	अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता स्तर–2
4.	शाखा समिति	यदि शाखा का कार्यक्षेत्र किसी एक वृत्त के अन्तर्गत आता है।	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	मुख्य अभियन्ता स्तर–2
		यदि शाखा का कार्यक्षेत्र एक से अधिक वृत्तों के अन्तर्गत आता है।	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	मुख्य अभियन्ता स्तर–1
5.	परियोजना समिति		मुख्य अभियन्ता स्तर–2	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	प्रमुख अभियन्ता, डिजाइन एवं प्लानिंग
6.	शीर्ष समिति		प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग		

120. **जल प्रयोग प्रास्थिति (Status):–**अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका तथा रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में जल उपयोग की प्रास्थिति का विवरण फसलवार तैयार किया जाएगा। प्रास्थिति रिपोर्ट सक्षम नहर अधिकारी द्वारा तैयार कराई जाएगी। प्रत्येक फसल सीजन से पूर्व प्रबन्धन समिति द्वारा सामान्य सभा की बैठक में गत फसल सीजन की जल उपयोग प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसका उपयोग रोस्टर तैयार करने में किया जाएगा। जल उपयोग प्रास्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित बिन्दु अवश्य समाहित किए जाएंगे–

(1) पूरे फसल सीजन में नहर के शीर्ष पर प्राप्त हाने वाले जल की कुल मात्रा का विवरण; **(परिशिष्ट–74)**

(2) फसल सीजन में कुल की गई सींच का विवरण; **(परिशिष्ट–75)**

(3) नहर के शीर्ष पर प्राप्त जल एवं कमाण्ड में उपयोग जल की मात्रा में अन्तर तथा गत फसल सीजन से तुलनात्मक विवरण; **(परिशिष्ट–74)**

(4) गत वर्ष की फसल सीजन के सापेक्ष वर्तमान फसल सीजन की सींच में वृद्धि; **(परिशिष्ट–75)**

(5) शीर्ष, मध्य एवं टेल भाग की सींच का विवरण; **(परिशिष्ट–75)**

(6) गत वर्ष की फसल सीजन से वर्तमान फसल सीजन की शीर्ष, मध्य एवं टेलवार तुलनात्मक विवरण **(परिशिष्ट–75)**।

121. **जल उपभोक्ता समिति की वार्षिक/फसली रिपोर्ट:–**अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति तथा रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा गत फसल सीजन में प्रबन्धन समिति द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट सक्षम नहर अधिकारी के सहयोग से जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी तथा सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में निम्नलिखित बिन्दु अवश्य समाहित किए जाएंगे–

- नहर पर कराए गए कार्यों का विवरण तथा किया गया व्यय **(परिशिष्ट–76);**
- जल उपयोग प्रास्थिति रिपोर्ट **(परिशिष्ट–74);**
- अनाधिकृत जल उपयोग पर नियन्त्रण की स्थिति **(परिशिष्ट–77);**
- वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट–78);**
- जल शुल्क वसूली की स्थिति **(परिशिष्ट–79);**
- नहर अपराध पर नियन्त्रण की स्थिति **(परिशिष्ट–80);**
- **अन्य**।